



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27014-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1150/2026**

अभिषेक सिंह एवं अन्ययाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार सिंह, अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतीक राय

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक राय की ओर से श्री सौमित्र द्विवेदी, अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारंभ में ही, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान वाद में विवेचना के दौरान, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 103 भी जोड़ी गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने तर्क दिया कि वह रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नयी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, नियमानुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

ज़फर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"